सख्या:-43/2024/आई526573/001-201आ0-23-5002-002-24-2024
(कम्प्यूटर सं0-1801626)

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 21 मार्च, 2024**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर-खीरी, हरदोई, महाराजगंज, कानपुर देहात व बांदा के 05 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-8004/CE-BLD/BUILD(NEW)/LKO/2023-24, दिनांक 12.03.2024, 8005/CE-BLD/PULD HOUS/LKO/2023-24, दिनांक 12.03.2024, 8006/CE-BLD/PULDHOUS/GKP/2023-24, दिनांक 12.03.2024, 8007/CE-BLD/PULD HOUS/KNP/2023-24, दिनांक 12.03.2024 एवं 8008/CE-BLD/PULD HOUS/BAN/2023-24, दिनांक 12.03.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर-खीरी, हरदोई, महाराजगंज, कानपुर देहात व बांदा के 05 कार्यों कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देयता में से **रू0 415.00 लाख(रू0 चार करोड़ पन्द्रह लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजना वार स्वीकृत धनराशि	अनुबन्ध आधारित बचत की धनराशि	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटित धनराशि	गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में समर्पित धनराशि	समर्पण के समायोजन के उपरान्त अद्यतन अवशेष (6-7+8)	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(धनराशि लाख रू0 में)					
1	102/2022/001-206आ0/23-5-22-18(भवन)/2021टीसी दिनांक- 29.12.222	लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।	241.94	13.21	228.73	100.00	67.64	196.37	50.00
2	64/2020/1038/23-5-20-12 (भवन)/2020टीसी, दिनांक 09.10.2020 एवं 29/2022/67आ0/001-23-5-22-18(भवन)/2020 दिनांक 22.07.2022 एवं 82/2022/001-168आ0/23-5-22-12(भवन)/2020टीसी, दिनांक 18.11.2022 एवं 144/2023/आई366210/001-278आ0-23-5002-002-22-2023-12(भवन)/2020टीसी, दिनांक 10.08.2023	हरदोई में निर्माण खण्ड-2(प्र0प0), लो0नि0वि0, हरदोई के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।	320.30	10.27	310.03	140.03	00.00	170.00	169.60

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3	136/2021/आई/123049/2021/278आ0/23-5-21-18(भवन)/2021 दिनांक 16.12.2021 एवं 124/2023/001-220आ0-23-5-23-18(भवन)/2021, दिनांक 03.07.2023	महाराजगंज में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0 वि0, महाराजगंज के आफिस बिल्डिंग का नव निर्माण कार्य।	216.69	09.92	206.77	90.00	0.00	116.77	55.00
4	92/2020/1125/23-5-20-18(भवन)/2020टीसी, दिनांक 17.12.2020 एवं 111/2021/280आ0/23-5-21-02(भवन)/2020, दिनांक 05.10.2021 एवं 63/2022/001-148आ0-23-5-22-02(भवन)/2020, दिनांक 21.09.2022 एवं 109/2023/001-195आ0-23-5-23-03(भवन)/2021, दिनांक 12.06.2023 एवं 185/2023/आई423991/001-366आ0-23-5002-002-56-2023-03(भवन)/2021, दिनांक 08.11.2023	कानपुर देहात के अन्तर्गत स्थित बारा में उपलब्ध भूमि पर लोक निर्माण विभाग के 03 खण्डों हेतु कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।	535.76	21.12	514.64	275.00	0.00	239.64	80.40
5	96/2022/001-187आ0/ई-23-5002(002)/9/2022, दिनांक 09.12.2022 एवं 115/2023/001-202आ0-23-5-ई23-5002-002-9-2022, दिनांक 22.06.2023	जनपद बाँदा में निर्माण खंड-1, लो0नि0 वि0 बाँदा के खण्डीय कार्यालय भवन के नव निर्माण कार्य।	292.96	0.58	292.38	160.00	50.00	182.38	60.00
		योग :-						**905.16**	**415.00**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(4) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दि0 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 4,15,00,000(रूपये चार करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 4059010510603 विभिन्न जनपदों (नवसृजित जनपदों सहित) में कार्यालय भवनों का निर्माण(चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

संख्या:-43/2024/आई526573/001-201आ0(1)-23-5-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी, हरदोई, महाराजगंज, कानपुर देहात व बांदा।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखीमपुर-खीरी,हरदोई,महाराजगंज,कानपुर देहात व बांदा।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता,मध्य क्षेत्र,कानपुर क्षेत्र,गोरखपुर क्षेत्र, चित्रकूटधाम बांदा लो0नि0वि0।
12- अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर।
13- अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त, लो0नि0वि0, उन्नाव ।
14- अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर वृत्त, लो0नि0वि0, गोरखपुर ।
15- अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर वृत्त, लो0नि0वि0, कानपुर।
16- अधीक्षण अभियन्ता, बांदा वृत्त, लो0नि0वि0, बांदा।
17- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखीमपुर-खीरी।
18- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, हरदोई।
19- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, महाराजगंज।
20- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड(भवन), लो0नि0वि0, कानपुर नगर।
21- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, बांदा।
22- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in